

बिहार सरकार**बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना****आवश्यक सूचना****विज्ञापन सं०-20 / 2025 (दन्त चिकित्सक)**

स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना से प्राप्त अध्याचना के आलोक में दन्त चिकित्सक के पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-20 / 2025 के अन्तर्गत दिनांक-10.05.2025 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के परीक्षा का अंक आयोग के Website- www.btsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित कर दिया गया है।

Computer Based Test में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की Online आवेदनों की Scrutiny विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार की गई। अभ्यर्थियों के द्वारा Online आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों के आधार पर विज्ञापन की कंडिका-5(i) में अंकित प्रावधान के अनुसार मेधाक्रम में Scrutiny किया गया। सम्प्रति अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के Website- www.btsc.bihar.gov.in/objection-portal पर दिनांक-23.08.2025 से 26.08.2025 के अपराह्न 06:00 बजे तक आपत्ति (यदि हो) आमंत्रित किया जाता है।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

मेधाक्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके Online आवेदन का Scrutiny आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। केवल Online आवेदन में उनके द्वारा संलग्न अभिलेखों के अनुसार ही विवरणी प्रदर्शित होगी।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें :-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, निबंधन प्रमाण-पत्र (सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रविष्टि सहित) का प्रमाण-पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन के कंडिका-1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (बी०डी०एस० स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता का प्रमाण-पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
3. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र (यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र) दिनांक-08.04.2025 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
4. विज्ञापन के कंडिका-5(i)(b) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को दिया गया है।
5. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-1111(2), दिनांक-02.07.2025 एवं पत्रांक-1472, दिनांक-21.08.2025 के द्वारा सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर चयन हेतु कतिपय पदों यथा-सिनियर रेजिडेन्ट/जुनियर रेजिडेन्ट के पदों पर किया गया नियोजन संविदा आधारित नहीं माना गया

- है। उक्त आलोक में दन्त चिकित्सक के पद पर चयन के क्रम में भी सिनियर रेजिडेंट/जूनियर रेजिडेंट आदि पदों पर किया गया नियोजन संविदा आधारित नहीं मानते हुए उक्त पदों पर संविदा आधारित किये गये कार्यों के लिए कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
6. विज्ञापन के कंडिका-5(i)(b) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-11.03.2025 तक की गई है।
 7. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कंडिका-5(iii) के अनुसार कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा विज्ञापन की कंडिका-5(i)(b) में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
 8. दन्त चिकित्सक के पद पर चयन के क्रम में Assistant Professor, Lecturer (Prosthodontic Department), Lecturer (Dental Hygienist) के पदों पर संविदा के आधार पर किये गये कार्यानुभव को समकक्ष पद का अनुभव नहीं होने के कारण कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
 9. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-1433(2), दिनांक-18.08.2025 के आलोक में दस्तावेज सत्यापन के दौरान निबंधन प्रमाण पत्र (जिसकी निबंधन की वैधता समाप्त हो गयी है) का Renewal समर्पित करना अनिवार्य होगा तत्संबंधी सूचना समाचार पत्र एवं आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गयी।
 10. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
 11. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
 12. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
 13. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
 14. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
 15. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:- 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की पुनः जाँच की जाएगी, आपत्तियों के निष्पादन एवं जाँचोपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा।

अपर सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।